

आदेश संख्या 127

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 अल्मोडा  
/प्रा0शि0/4(2)2/स्था0/2023-24

दिनांक 24 जून, 2023

कार्यालय ज्ञाप /अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश (सुगम से दुर्गम)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -07 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या / प्रा0 शि0- दो (2) /595-2022/992-1003/2023-24 दि0 16 -05-2023 एवं शासनादेश सं0 -1/115324/ XXX-2/2023 दि0 18-04-2023 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 18-04-2023 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानुसार में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0स 0	अध्यापक का नाम	वर्तमान तैनाती रा0प्रा0वि0का नाम	विकासखण्ड	विद्यालय की श्रेणी	स्थानान्तरित रा0प्रा0वि0का नाम	विकासखण्ड	विद्यालय की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आशा जोशी	बूगीशाला	धौलादेवी	सुगम	बडसीमी	हवालबाग	दुर्गम
2	फूलजहां अन्सारी	कन्तोली	भिवियासैण	सुगम	खाईकट्टा	हवालबाग	दुर्गम
3	अमित कुमार	नौला	भिवियासैण	सुगम	जैठा	भिवियासैण	दुर्गम
4	दया देवी	मटेला	द्वाराहाट	सुगम	कुमाल्टा	द्वाराहाट	दुर्गम
5	सुनीता देवी	तामाढौन	स्याल्दे	सुगम	लौकोट	भिवियासैण	दुर्गम
6	देवेन्द्र सिंह	ठाट	लमगड़ा	सुगम	कपकोट	लमगड़ा	दुर्गम
7	दीक्षा जोशी	मौना	ताडीखेत	सुगम	नाटाडोल	लमगड़ा	दुर्गम
8	बहादुर सिंह	जसपुर	स्याल्दे	सुगम	भकराकोट	सल्ट	दुर्गम
9	हरीश चन्द्र जोशी	जैनोली	ताडीखेत	सुगम	मंगडोली	ताडीखेत	दुर्गम
10	कमलेश गिरी	चिलियानौला	ताडीखेत	सुगम	रघुलीपीपल	ताडीखेत	दुर्गम
11	चन्द्र प्रकाश	दिगोली	भैसियाछाना	सुगम	रैगल	हवालबाग	दुर्गम
12	भगवती आर्या	खनिया	ताडीखेत	सुगम	पीपलखण्ड	ताडीखेत	दुर्गम


वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे।
2. स्थानान्तरित अध्यापक /अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य " कार्यभार ग्रहण अवधि " का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य "यात्रा अवधि"का ही उपभोग कर सकेंगे।



स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।


  
(अत्रिश सयाना)

जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा

पृष्ठांकन संख्या - 1862-71 / प्रा० शि० / स्थाना० / 23-24

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक , विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड , देहरादून।
2. निदेशक , प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी अल्मोड़ा।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कूमायूँ मण्डल नैनीताल।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जनपद— अल्मोड़ा।
7. मुख्य कोषाधिकारी अल्मोड़ा।
8. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी अल्मोड़ा।
9. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
10. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 अल्मोडा  
आदेश संख्या 129

कार्यालय ज्ञाप / अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश (सुगम से दुर्गम)  
/ प्रा0शि0 / 4(2)2 / स्था0 / 2023-24

दिनांक 24 जून, 2023

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -07 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या / प्रा0 शि0- दो (2) / 595-2022/992-1003/2023-24 दि0 16 -05-2023 एवं शासनादेश सं0 -1/115324/ XXX-2/2023 दि0 18-04-2023 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार में प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है :-

क0 स0	अध्यापक का नाम	वर्तमान तैनाती रा0प्रा0वि0का नाम	विकासखण्ड	विद्यालय की श्रेणी	स्थानान्तरित रा0प्रा0वि0का नाम	विकासखण्ड	विद्यालय की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
01	कुमुद काण्डपाल	धिघारी	ताड़ीखेत	सुगम	खग्यार	ताड़ीखेत	दुर्गम

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे।
2. स्थानान्तरित अध्यापक /अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य "कार्यभार ग्रहण अवधि" का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त होने के उपरान्त मात्र अनुमन्य "यात्रा अवधि"का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण न्युटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(अशेष सयाना)

जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोडा

पृष्ठांकन संख्या 1992-96 / प्रा0शि0 / 4(2)2 / स्था0 / 2023-24

तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी अल्मोडा।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कूमायूँ मण्डल नैनीताल।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोडा।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जनपद- अल्मोडा।
7. मुख्य कोषाधिकारी अल्मोडा।
8. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी अल्मोडा।
9. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
10. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोडा

कार्यालय ज्ञाप / अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश (सुगम से दुर्गम)


उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -07 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या / प्रा0 शि0- दो (2) / 595-2022 / 992-1003 / 2023-24 दि0 16 -05-2023 एवं शासनादेश सं0 -1 / 115324 / XXX-2 / 2023 दि0 18-04-2023 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30 / 06 / 2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानुसार में सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0स 0	अध्यापक का नाम	वर्तमान तैनाती रा0प्रा0वि0का नाम	विकासखण्ड	विद्यालय की श्रेणी	स्थानान्तरित रा0प्रा0वि0का नाम	विकासखण्ड	विद्यालय की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौरव पंत	कृष्णदास साह	हवालबाग	सुगम	कलौटा	धौलादेवी	दुर्गम
2	सीमा भाकुनी	मल्ला विशुवा	ताडीखेत	सुगम	चरी क्यारी	सल्ट	दुर्गम
3	निर्मला राज	मनाऊँ	हवालबाग	सुगम	तलचौना	धौलादेवी	दुर्गम
4	हरदेव सिंह	पीपलधार	चौखुटिया	सुगम	जामडी जाखल	सल्ट	दुर्गम
5	अमित कुमार शर्मा	कोठार	ताडीखेत	सुगम	चौनडुगरी	धौलादेवी	दुर्गम
6	गिरधारी सिंह	जैनोली	ताडीखेत	सुगम	मुनडा	सल्ट	दुर्गम
7	मीना काण्डपाल	बनोलिया	द्वाराहाट	सुगम	अजोली	सल्ट	दुर्गम
8	जगदीश चन्द्र	नौगाँव	ताडीखेत	सुगम	भतौरा	द्वाराहाट	दुर्गम
9	चन्द्रा जोशी	पाखुँडा	हवालबाग	सुगम	बिरकोला	धौलादेवी	दुर्गम

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक / अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त / ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे।
2. स्थानान्तरित अध्यापक / अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य " कार्यभार ग्रहण अवधि " का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य "यात्रा अवधि" का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित / टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

  
24-06-23  
(अत्रिश सयाना)

जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोडा




कन संख्या 1872-91 / प्रा0शि0 / 4(2)2 / स्था0 / 2022-23

तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक , विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड , देहरादून।
2. निदेशक , प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी अल्मोड़ा।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कूमायूँ मण्डल नैनीताल।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जनपद- अल्मोड़ा।
7. मुख्य कोषाधिकारी अल्मोड़ा।
8. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी अल्मोड़ा।
9. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
10. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
24-06-23  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा